बूथ लेवल एजेंटों का प्रशिक्षण शुरू

जयपुर। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने देश के राजनीतिक दलों की जमीनी स्तर पर भूमिका और भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से इन दलों के बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) को प्रशिक्षण देनें की पहल की है। आयोग के प्रशिक्षण संस्थान इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआईआईडीईएम), नई दिल्ली में बुधवार से बिहार के 10 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लगभग 280 बीएलए के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ इस नवाचार का शुभारम्भ हुआ।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने अपनी तरह के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया।

दैनिक रणघोष

जमीनी स्तर पर राजनीतिक दलों की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की पहल

बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) का प्रशिक्षण शुरू, 2 दिवसीय कार्यक्रम में बिहार के 280 बीएलए शामिल

रणघोष न्यूज़ | जयपुर

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने देश के राजनीतिक दलों की जमीनी स्तर पर भूमिका और भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से इन दलों के बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) को प्रशिक्षण देने की एक नई पहल की है। आयोग के प्रशिक्षण संस्थान इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (IIIDEM), नई दिल्ली में बुधवार से बिहार के 10 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लगभग 280 बीएलए के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ इस नवाचार का शुभारंभ हुआ। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने इस अनूठे प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। इस आयोजन की परिकल्पना आयोग द्वारा 4 मार्च, 2025 को राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन के दौरान की गई थी। आयोग ने चुनाव प्रक्रियाओं में बीएलए की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए जोर दिया है कि यह प्रशिक्षण उन्हें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951; निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960; चुनाव संचालन नियम, 1961, तथा समय-समय पर आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और आदेशों में उल्लिखित उनकी भूमिका को बेहतर ढंग से समझने और निभाने में सहायक होगा। प्रशिक्षण के दौरान बीएलए को कानूनी ढांचे के अनुसार उनकी नामांकन, नियुक्ति, भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही, उन्हें चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं जैसे मतदाता सूचियों की तैयारी, अद्यतन, संशोधन, एवं संबंधित फॉर्म व प्रारूपों से भी परिचित कराया गया। उल्लेखनीय है कि बीएलए को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नामित किया जाता है और वे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अनुसार त्रुटिरहित मतदाता सूचियां तैयार करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रशिक्षण के दौरान बीएलए को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूचियों के विषय में आपत्ति होने की स्थिति में अधिनियम की धाराओं 24(क) और 24(ख) के तहत पहली और दूसरी अपील के प्रावधानों की प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया।

राजस्थान में 1,100 से अधिक राजनीतिक प्रतिनिधियों ने की भागीदारी

राजस्थान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने भी 28 मार्च को राज्य के प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की थी। इसमें बीएलए की नियुक्ति, चुनावी प्रक्रिया में उनकी भूमिका एवं प्रशिक्षण से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। आयोग के निर्देशानुसार, जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के स्तर पर भी इस प्रकार की बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें 1,100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

जमीनी स्तर पर राजनीतिक दलों की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की पहल

बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) का प्रशिक्षण शुरू, 2 दिवसीय कार्यक्रम में बिहार के 280 बीएलए शामिल

ढोलामारू न्यूज

नागौर। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने देश के राजनीतिक दलों की जमीनी स्तर पर भूमिका और भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से इन दलों के बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) को प्रशिक्षण देने की पहल की है. आयोग के प्रशिक्षण संस्थान इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआईआईडीईएम), नई दिल्ली में बुधवार से बिहार के 10 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लगभग 280 बीएलए के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ इस नवाचार का शुभारम्भ हुआ. मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने अपनी तरह के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया. इस आयोजन की परिकल्पना आयोग द्वारा 4 मार्च, 2025 को राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन के दौरान की गई थी. आयोग ने चुनाव प्रक्रियाओं में बीएलए के महत्व को रेखांकित करते हुए जोर दिया है कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्हें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951; निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960; चुनाव संचालन नियम, 1961 और समय-समय पर आयोग द्वारा जारी मैनुअल, दिशा-निर्देशों और निर्देशों में उल्लिखित उनकी भूमिका को समझने और उसे निभाने में मदद करेगा.

प्रशिक्षण के दौरान बीएलए को कानूनी ढांचे के अनुसार उनकी नामांकन अथवा नियुक्ति, भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से बताया गया. साथ ही, इन राजनीतिक हितधारकों को चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं और प्रक्रियाओं यथा मतदाता सूचियों की तैयारी, अद्यतन और संशोधन तथा इनसे जुड़े फॉर्म और प्रारूप आदि से भी परिचित कराया गया. उल्लेखनीय है कि बीएलए को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नामित किया जाता है और वे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अनुसार त्रुटिरहित मतदाता सूचियां तैयार करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. प्रशिक्षण के दौरान बीएलए को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूचियों के विषय में आपत्ति होने की स्थिति में अधिनियम की धाराओं 24(क) और 24(ख) के तहत पहली और दूसरी अपील के प्रावधानों के उपयोग में भी जानकारी दी गई.

राजस्थान में राजनीतिक दलों के 1,100 से अधिक प्रतिनिधियों ने बैठकों में हिस्सा लिया

राजस्थान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने भी 28 मार्च को राज्य के प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी. इसमें राजनीतिक दलों की ओर से बूथ लेवल अभिकर्ताओं (बीएलए) को नामित करने, चुनावी प्रक्रिया में उनकी भूमिका और प्रशिक्षण आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई थी।

इस क्रम में आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के स्तर पर भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें 1,100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भागीदारी की।

जमीनी स्तर पर राजनीतिक दलों की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की पहल

बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) का प्रशिक्षण शुरू, 2 दिवसीय कार्यक्रम में बिहार के 280 बीएलए शामिल

पाटन एक्सप्रेस दै.

झालावाड़। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने देश के राजनीतिक दलों की जमीनी स्तर पर भूमिका और भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से इन दलों के बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) को प्रशिक्षण देने की पहल की है. आयोग के प्रशिक्षण संस्थान इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआईआईडीईएम), नई दिल्ली में बुधवार से बिहार के 10 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लगभग 280 बीएलए के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ इस नवाचार का शुभारम्भ हुआ।

मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने अपनी तरह के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया. इस आयोजन की परिकल्पना आयोग द्वारा 4 मार्च, 2025 को राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन के दौरान की गई थी. आयोग ने चुनाव प्रक्रियाओं में बीएलए के महत्व को रेखांकित करते हुए जोर दिया है कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्हें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951; निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960; चुनाव संचालन नियम, 1961 और समय-समय पर आयोग द्वारा जारी मैनुअल, दिशा-निर्देशों और निर्देशों में उल्लिखित उनकी भूमिका को समझने और उसे निभाने में मदद करेगा।

प्रशिक्षण के दौरान बीएलए को कानूनी ढांचे के अनुसार उनकी नामांकन अथवा नियुक्ति, भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से बताया गया. साथ ही, इन राजनीतिक हितधारकों को चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं और प्रक्रियाओं यथा मतदाता सूचियों की तैयारी, अद्यतन और संशोधन तथा इनसे जुड़े फॉर्म और प्रारूप आदि से भी परिचित कराया गया. उल्लेखनीय है कि बीएलए को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नामित किया जाता है और वे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अनुसार त्रुटिरहित मतदाता सूचियां तैयार करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. प्रशिक्षण के दौरान बीएलए को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूचियों के विषय में आपत्ति होने की स्थिति में अधिनियम की धाराओं 24(क) और 24(ख) के तहत पहली और दूसरी अपील के प्रावधानों के उपयोग में भी जानकारी दी गई।

राजस्थान में राजनीतिक दलों के 1,100 से अधिक प्रतिनिधियों ने बैठकों में हिस्सा लिया

राजस्थान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने भी 28 मार्च को राज्य के प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी. इसमें राजनीतिक दलों की ओर से बूथ लेवल अभिकर्ताओं (बीएलए) को नामित करने, चुनावी प्रक्रिया में उनकी भूमिका और प्रशिक्षण आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई थी. इस क्रम में आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के स्तर पर भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की गई, जिनमें 1,100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भागीदारी की।

जमीनी स्तर पर राजनीतिक दलों की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की पहल

बूथ लेवल एजेंटों 'बीएलए' का प्रशिक्षण शुरू

2 दिवसीय कार्यक्रम में बिहार के 280 बीएलए शामिल

दिशा न्यूज। झालावाड़.
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने देश के राजनीतिक दलों की जमीनी स्तर पर भूमिका और भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से इन दलों के बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) को प्रशिक्षण देने की पहल की है. आयोग के प्रशिक्षण संस्थान इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआईआईडीईएम), नई दिल्ली में बुधवार से बिहार के 10 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लगभग 280 बीएलए के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ इस नवाचार का शुभारम्भ हुआ।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने अपनी तरह के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया. इस आयोजन की परिकल्पना आयोग द्वारा 4 मार्च, 2025 को राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन के दौरान की गई थी।

आयोग ने चुनाव प्रक्रियाओं में बीएलए के महत्व को रेखांकित करते हुए जोर दिया है कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्हें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951(निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960(चुनाव संचालन नियम, 1961 और समय–समय पर आयोग द्वारा जारी मैनुअल, दिशा–निर्देशों और निर्देशों में उल्लिखित उनकी भूमिका को समझने और उसे निभाने में मदद करेगा।

प्रशिक्षण के दौरान बीएलए को कानूनी ढांचे के अनुसार उनकी नामांकन अथवा नियुक्ति, भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से बताया गया. साथ ही, इन राजनीतिक हितधारकों को चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं और प्रक्रियाओं यथा मतदाता सूचियों की तैयारी, अद्यतन और संशोधन तथा इनसे जुड़े फॉर्म और प्रारूप आदि से भी परिचित कराया गया. उल्लेखनीय है कि बीएलए को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नामित किया जाता है और वे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अनुसार त्रुटिरहित मतदाता सूचियां तैयार करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. प्रशिक्षण के दौरान बीएलए को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूचियों के विषय में आपत्ति होने की स्थिति में अधिनियम की धाराओं 24(क) और 24(ख) के तहत पहली और दूसरी अपील के प्रावधानों के उपयोग में भी जानकारी दी गई। राजस्थान में राजनीतिक दलों के 1,100 से अधिक प्रतिनिधियों ने बैठकों में हिस्सा लिया

राजस्थान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने भी 28 मार्च को राज्य के प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी. इसमें राजनीतिक दलों की ओर से बूथ लेवल अभिकर्ताओं (बीएलए) को नामित करने, चुनावी प्रक्रिया में उनकी भूमिका और प्रशिक्षण आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई थी. इस क्रम में आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के स्तर पर भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें 1,100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भागीदारी की।

लोकसम्मत, 17 अप्रैल 2025, श्रीगंगानगर

जमीनी स्तर पर राजनीतिक दलों की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की पहल

-बूथ लेवल एजेंटों का प्रशिक्षण शुरू, 2 दिवसीय कार्यक्रम में बिहार के 280 बीएलए शामिल

जयपुर।

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने देश के राजनीतिक दलों की जमीनी स्तर पर भूमिका और भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से इन दलों के बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) को प्रशिक्षण देने की पहल की है। आयोग के प्रशिक्षण संस्थान इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआईआईडीईएम), नई दिल्ली में बुधवार से बिहार के 10 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लगभग 280 बीएलए के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ इस नवाचार का शुभारम्भ हुआ।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने अपनी तरह के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। इस आयोजन की परिकल्पना आयोग द्वारा 4 मार्च, 2025 को राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन के दौरान की गई थी। आयोग ने चुनाव प्रक्रियाओं में बीएलए के महत्व को रेखांकित करते हुए जोर दिया है कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्हें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951 निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 चुनाव संचालन नियम, 1961 और समय-समय पर आयोग द्वारा जारी मैनुअल, दिशा-निर्देशों और निर्देशों में उल्लिखित उनकी भूमिका को समझने और उसे निभाने में मदद करेगा।

प्रशिक्षण के दौरान बीएलए को कानूनी ढांचे के अनुसार उनकी नामांकन अथवा नियुक्ति, भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही, इन राजनीतिक हितधारकों को चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं और प्रक्रियाओं यथा मतदाता सूचियों की तैयारी, अद्यतन और संशोधन तथा इनसे जुड़े फॉर्म और प्रारूप आदि से भी परिचित कराया गया। उल्लेखनीय है कि बीएलए को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नामित किया जाता है और वे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अनुसार त्रुटिरहित मतदाता सूचियां तैयार करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रशिक्षण के दौरान बीएलए को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूचियों के विषय में आपत्ति होने की स्थिति में अधिनियम की धाराओं 24(क) और 24(ख) के तहत पहली और दूसरी अपील के प्रावधानों के उपयोग में भी जानकारी दी गई।

राजस्थान में राजनीतिक दलों के 1,100 से अधिक प्रतिनिधियों ने बैठकों में हिस्सा लिया

राजस्थान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने भी 28 मार्च को राज्य के प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। इसमें राजनीतिक दलों की ओर से बूथ लेवल अभिकर्ताओं (बीएलए) को नामित करने, चुनावी प्रक्रिया में उनकी भूमिका और प्रशिक्षण आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई थी। इस क्रम में आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के स्तर पर भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की गई, जिनमें 1,100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भागीदारी की।

गंगानगर और देश, 17 अप्रैल 2025, श्रीगंगानगर

जमीनी स्तर पर राजनीतिक दलों की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की पहल

बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) का प्रशिक्षण शुरू, 2 दिवसीय कार्यक्रम में बिहार के 280 बीएलए शामिल

नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने देश के राजनीतिक दलों की जमीनी स्तर पर भूमिका और भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से इन दलों के बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) को प्रशिक्षण देने की पहल की है। आयोग के प्रशिक्षण संस्थान इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआईआईडीईएम), नई दिल्ली में बुधवार से बिहार के 10 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लगभग 280 बीएलए के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ इस नवाचार का शुभारम्भ हुआ।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने अपनी तरह के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। इस आयोजन की परिकल्पना आयोग द्वारा 4 मार्च 2025 को राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन के दौरान की गई थी। आयोग ने चुनाव प्रक्रियाओं में बीएलए के महत्व को रेखांकित करते हुए जोर दिया है कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्हें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951; निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960; चुनाव संचालन नियम, 1961 और समय-समय पर आयोग द्वारा जारी मैनुअल, दिशा-निर्देशों और निर्देशों में उल्लिखित उनकी भूमिका को समझने और उसे निभाने में मदद करेगा।

प्रशिक्षण के दौरान बीएलए को कानूनी ढांचे के अनुसार उनकी नामांकन अथवा नियुक्ति, भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही, इन राजनीतिक हितधारकों को चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं और प्रक्रियाओं यथा मतदाता सूचियों की तैयारी, अद्यतन और संशोधन तथा इनसे जुड़े फॉर्म और प्रारूप आदि से भी परिचित कराया गया। उल्लेखनीय है कि बीएलए को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नामित किया जाता है और वे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अनुसार त्रुटिरहित मतदाता सूचियां तैयार करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रशिक्षण के दौरान बीएलए को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूचियों के विषय में आपत्ति होने की स्थिति में अधिनियम की धाराओं 24 (क) और 24(ख) के तहत पहली और दूसरी अपील के प्रावधानों के उपयोग में भी जानकारी दी गई। राजस्थान में राजनीतिक दलों के 1,100 से अधिक प्रतिनिधियों ने बैठकों में हिस्सा लिया राजस्थान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने भी 28 मार्च को राज्य के प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। इसमें राजनीतिक दलों की ओर से बूथ लेवल अभिकर्ताओं (बीएलए) को नामित करने, चुनावी प्रक्रिया में उनकी भूमिका और प्रशिक्षण आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई थी। इस क्रम में आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के स्तर पर भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें 1,100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भागीदारी की।

जमीनी स्तर पर राजनीतिक दलों की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की पहल

बूथ लेवल एजेंटों का प्रशिक्षण शुरू

बारां, 16 अप्रेल (हाड़ौती संचार)।

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने देश के राजनीतिक दलों की जमीनी स्तर पर भूमिका और भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से इन दलों के बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) को प्रशिक्षण देने की पहल की है। आयोग के प्रशिक्षण संस्थान इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआईआईडीईएम), नई दिल्ली में बुधवार से बिहार के 10 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लगभग 280 बीएलए के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ इस नवाचार का शुभारम्भ हुआ।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने अपनी तरह के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। इस आयोजन की परिकल्पना आयोग द्वारा 4 मार्च, 2025 को राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन के दौरान की गई थी। आयोग ने चुनाव प्रक्रियाओं में बीएलए के महत्व को रेखांकित करते हुए जोर दिया है कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्हें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951; निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960; चुनाव संचालन नियम, 1961 और समय-समय पर आयोग द्वारा जारी मैनुअल, दिशा-निर्देशों और निर्देशों में उल्लिखित उनकी भूमिका को समझने और उसे निभाने में मदद करेगा। प्रशिक्षण के दौरान बीएलए को कानूनी ढांचे के अनुसार उनकी नामांकन अथवा नियुक्ति, भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही, इन राजनीतिक हितधारकों को चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं और प्रक्रियाओं यथा मतदाता सूचियों की तैयारी, अद्यतन और संशोधन तथा इनसे जुड़े फॉर्म और प्रारूप आदि से भी परिचित कराया गया।

जमीनी स्तर पर राजनीतिक दलों की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की पहल

बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) का प्रशिक्षण शुरू, 2 दिवसीय कार्यक्रम में बिहार के 280 बीएलए शामिल

भरतपुर 17 अप्रैल। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने देश के राजनीतिक दलों की जमीनी स्तर पर भूमिका और भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से इन दलों के बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) को प्रशिक्षण देने की पहल की है। आयोग के प्रशिक्षण संस्थान इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआईआईडीईएम), नई दिल्ली में बुधवार से बिहार के 10 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लगभग 280 बीएलए के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ इस नवाचार का शुभारम्भ हुआ।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने अपनी तरह के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। इस आयोजन की परिकल्पना आयोग द्वारा 4 मार्च, 2025 को राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन के दौरान की गई थी। आयोग ने चुनाव प्रक्रियाओं में बीएलए के महत्व को रेखांकित करते हुए जोर दिया है कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्हें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951; निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960; चुनाव संचालन नियम, 1961 और समय-समय पर आयोग द्वारा जारी मैनुअल, दिशा-निर्देशों और निर्देशों में उल्लिखित उनकी भूमिका को समझने और उसे निभाने में मदद करेगा। प्रशिक्षण के दौरान बीएलए को कानूनी ढांचे के अनुसार उनकी नामांकन अथवा नियुक्ति, भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही, इन राजनीतिक हितधारकों को चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं और प्रक्रियाओं यथा मतदाता सूचियों की तैयारी, अद्यतन और संशोधन तथा इनसे जुड़े फॉर्म और प्रारूप आदि से भी परिचित कराया गया। उल्लेखनीय है कि बीएलए को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नामित किया जाता है और वे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अनुसार त्रुटिरहित मतदाता सूचियां तैयार करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रशिक्षण के दौरान बीएलए को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूचियों के विषय में आपत्ति होने की स्थिति में अधिनियम की धाराओं 24(क) और 24(ख) के तहत पहली और दूसरी अपील के प्रावधानों के उपयोग में भी जानकारी दी गई।

राजस्थान में राजनीतिक दलों के 1,100 से अधिक प्रतिनिधियों ने बैठकों में हिस्सा लिया: राजस्थान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने भी 28 मार्च को राज्य के प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। इसमें राजनीतिक दलों की ओर से बूथ लेवल अभिकर्ताओं (बीएलए) को नामित करने, चुनावी प्रक्रिया में उनकी भूमिका और प्रशिक्षण आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई थी। इस क्रम में आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के स्तर पर भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें 1,100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भागीदारी की।